

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/276/

जबलपुर, दिनांक 13/01/2021

श्री हनुमान सिंह सोलंकी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को कार्यालय में बिना सूचना/आवेदन पत्र के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण एवं रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रमांक सी/2586 दिनांक 18.10.2020 एवं ए/2462 दिनांक 06.11.2020 में दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 04.09.2020, दिनांक 05.09.2020, दिनांक 09.09.2020, दिनांक 13.10.2020 एवं दिनांक 14.10.2020 कुल 5 दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक B/277/

जबलपुर, दिनांक 13/01/2021

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री हनुमान सिंह सोलंकी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(किशोर पिठवे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.